सुमित गंगवार[1] शिरीष पाल सिंह[2]
sumitgangwarhnbgu@gmail.com;
shireeshsingh1982@gmail.com

भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा : स्थिति, चुनौतियाँ एवं समाधान

सार

किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास तभी संभव है, जब उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो तथा प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपना व्यक्तिगत योगदान दे सके। भारत जैसे विविधता वाले देश में सरकार दिव्यांगजनों के शैक्षिक स्तर में उत्थान के लिए समय-समय पर अनेक नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों पर दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए वि. भन्न कदम भी उठाती रही है, इसके बावजूद दिव्यांगजनों को शिक्षा प्राप्ति के पथ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध कार्य के दो प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) भारत में दिव्यांगजनों की साक्षरता दर को आधार मानते हुए इनकी शैक्षिक स्थिति को जानना तथा (2) दिव्यांगजनों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों एवं इनके निराकरण का अध्ययन करना था। प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोधार्थियों ने भारत की जनगणना 2011 से संबंधित दस्तावेज तथा दिव्यांगजनों की शिक्षा से संबंधित अन्य प्रतिवेदनों का विषयवस्तु विश्लेषण किया। द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत 22 दिव्यांग विद्यार्थियों तथा 10 विशिष्ट शिक्षकों का अर्ध-संरचित साक्षात्कार लिया। शोध कार्य में विषयवस्तु के विश्लेषण तथा अर्ध-संरचित साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत पाया गया कि भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। दिव्यांगजनों की शिक्षा में माता-पिता तथा समाज की जागरूकता की कमी है, अनुचित पाठ्यक्रम है व अनुकूलन और समेकित शिक्षा के प्रति शिक्षकों तथा प्रशासनिक मददगार नहीं हैं अधिका. रियों, माता-पिता, साथियों एवं नीति निर्धारकों की ऐसी अभिवृत्ति संवेदनपूर्ण नहीं है। साथ ही विद्यालय का अधिगम वातावरण, पारिवारिक सहयोग में कमी है तथा अनेक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं, जो दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति तथा उनकी साक्षरता दर की प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं।

प्रमुख शब्दावली: दिव्यांगजन, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक स्थिति, साक्षरता दर, शैक्षिक चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा, शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के विद्यालयों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। लक्ष्य यह है कि इससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। इसके तहत पठन-पाठन के अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा रहित विद्यालयी माहौल का निर्माण कार्य भी किया जाता है। समावेशी शिक्षा कि धारणा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषायी तथा अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र' को स्वीकार किया गया, जिसमें समस्त मानवों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ मूलभूत अधिकारों को सम्मिलित किया गया। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया गया जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की चर्चा की गई और विभिन्न राष्ट्रों ने इस घोषणा पत्र को अंगीकार किया। मार्च, 1990 में थाईलैंड के जॉमटीन शहर में 'सभी के लिए शिक्षा' विषय पर विश्व सम्मेलन में भाग ले रहे 155 देशों के प्रतिनिधि एवं करीब 150 से अधिक सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2000 तक अपने-अपने देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर सहमति जाहिर की। सन् 1993 में यूनेस्को द्वारा दिल्ली में 'सभी के लिए शिक्षा' विषय पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें चीन, ब्राजील, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान एवं मैक्सिको सहित कुल 9

देशों ने भाग लिया। इन देशों ने दिव्यांगों की शिक्षा से सम्बंधित 8 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया और उनको सन् 2000 तक प्राप्त करने की घोषणा की गई (संजीव, 2008)।

भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा का विकास

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया जिसमें शिक्षा को मानव की बुनियादी आवश्यकता माना गया है। अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि 'कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति एवं भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।' कालांतर में समय-समय पर होने वाले विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा बच्चों की शिक्षा संबंधी नए प्रावधानों को भी संविधान में समिल्लित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) पहला वैधानिक निकाय था जिसने यह सुझाव दिया कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का आयोजन केवल मानवीय दया भावना के आधार पर नहीं बल्कि एकता तथा समावेशी आधार पर किया जाना चाहिए। इस आयोग के गठन के समय भारत में विशिष्ट विद्यालयों की संख्या 250 से भी कम थी (लाल तथा शर्मा, 2014)। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि भारतीय संविधान में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सहित सभी बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी कई प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, परंतु फिर भी इस दिशा में किए गए कार्य संतोषजनक नहीं है। आयोग ने यह माना कि दिव्यांगों की शिक्षा सामान्य विद्यालय का एक अविभाज्य हिस्सा होना चाहिए। आयोग ने दिव्यांगजनों की शिक्षा से सम्बंधित अपने सुझाव में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 1986 तक लगभग 15% दृष्टि बधित, श्रवण बधित एवं विकृत अंगों वाले बच्चों और 5% बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कम से कम एक अच्छी संस्था होनी चाहिए (मिश्र, 2013)।

कोठारी आयोग की सिफ़ारिश पर ही सामाजिक न्याय तथा रोज़गार मंत्रालय (सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा सन् 1974 में 'विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा' (आई. ई. डी. सी.) नामक अति महत्वाकांक्षी योजना का आरंभ किया गया। जिसके अंतर्गत चयनित सामान्य स्कूलों के दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों के दिव्यांग विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री, स्कूल-वर्दी, परिवहन भत्ता, शैक्षिक उपकरण, और नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भत्ता व दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों के वेतन आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाने लगी। कालांतर में यह योजना 'इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी' (आई. ई. सी. वाई. डी.) के नाम से जानी जाने लगी (सिंह, 2016)।

वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 1984 में 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किए- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान, कोलकाता, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। ये संस्थान दिव्यांगों की शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण एवं उनके लिए रोजगार व्यवस्था का कार्य करते हैं, साथ ही दिव्यांगों की शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याओं के क्षेत्र में शोध कार्य करते हैं और संबंधित साहित्य का प्रकाशन भी करते हैं (लाल तथा शर्मा, 2014)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) में स्पष्ट किया गया है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के गतिविषयक दिव्यांगता तथा प्रमस्तिष्क घात दिव्यांगता वाले बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। इस नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ उचित व्यवहार करके उनके विकास में सक्रिय योगदान दे सकें (मिश्र, 2013)। सन् 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनीसेफ) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए 'एकीकृत शिक्षा परियोजना' का आरंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी (आई. ई. सी. वाई. डी.) के कार्यान्वयन को मजबूत करना था। सन् 1994 में भारत सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों के अपव्यय को कम करना तथा उनकी उपलब्धि स्तर को बढ़ाना था। लक्ष्य दिव्यांग बच्चों के साथ अन्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था (जुलका, 2007)।

दिव्यांगजनों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में की इसे 31 जुलाई, 1993 से प्रभावी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह परिषद नई दिल्ली

में है, और दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों तथा पाठ्यक्रमों का विनियमयन, करती है। यह सोसाइटी दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं एवं विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। यह विभिन्न संगठनों के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करती है (आर.सी.आई., 2015)।

सन् 1995 में भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नि:शक्त जन अधिनियम 'समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी-1995' पारित किया। इसे 7 फरवरी, 1996 को लागू किया गया। नि:शक्त जन अधिनियम-1995 में 7 तरह की दिव्यांगताओं (अंधता, दृष्टि ह्रास, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्त, श्रवण-बधिर, गतिविषयक विकलांगता, मानसिकता रुग्णता तथा मानसिक विकलांगता) को वर्गीकृत किया गया। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों की प्राप्ति हेतु उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम दिव्यांगों के लिए स्वइच्छित रोजगार, आरक्षण, शोध, सशक्तिकरण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही उनके उचित पुनर्वास का भी उल्लेख करता है। इस अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 26 में नि:शक्त बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है (कोहमा, 2012)।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 - राष्ट्रीय स्व:परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहुनि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास-1999, का उद्देश्य नि:शक्त व्यक्तियों के परिवारों को सशक्त बनाना है, ताकि वे नि:शक्त व्यक्तियों को परिवार में ही रख सकें। यह न्यास हाशिए पर रह रहे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण कर उनके कौशल विकास को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय विकलांगजन नीति (2006) का मानना है कि नि:शक्त व्यक्ति देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इस नीति में समाज में ऐसा वातावरण सृजित करने का आग्रह किया गया है, जिसमें नि:शक्त जनों को समान अवसर प्रदान कर उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार के मौके, स्वरोजगार, संभावना, सामाजिक सुरक्षा आदि में सुधार करने तथा इससे संबंधित सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस दस्तावेज में नि:शक्त व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास तथा नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिए अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौता (UNCRPD) अपनाया। इसे दिव्यांगता समझौता भी कहते हैं। यह समझौता दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों को स्पष्ट करता है। इस समझौते में यह कहा गया है कि दिव्यांग लोगों को मानवाधिकारों पर वह पहुँच प्राप्त नहीं है जो अन्य लोगों को है। भारत सहित अन्य कई देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने देश के सभी दिव्यांगजनों तक मानवाधिकारों को पहुँचाने की बात कही। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 24 शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पहली पसंद के रूप में समावेशी तंत्र को रेखांकित करता है। यूएनसीआरपीडी तथा नि:शक्त जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी)-1995 को आधार बनाते हुए भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 बनाया है। इस अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की स्थानीय समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण किए जाने की बात की गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में शारीरिक समस्याओं की प्रकृति, शरीर के अंगों तथा शारीरिक प्रणाली में कठिनाई के आधार पर विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को इक्कीस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय 3 (शिक्षा) की धारा 16, 17 तथा 18 में दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु कई प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। धारा 16 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगें कि उनके द्वारा वित्तपोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, दिव्यांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए इस धारा में कुल 8 प्रावधानों को समिल्लित किया गया है। धारा 17 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि धारा 16 के प्रावधानों अर्थात् समावेशी शिक्षा को संवर्धित करने और सुगम बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय करना अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा को संवर्धित करने और सुगम बनाने के लिए पर्याप्त कुल 11 प्रावधाान हैं। इनमें संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, शिक्षकों को ब्रेल और सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित तथा नियोजित करना, संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करना, संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समिल्लित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृन्द को प्रशिक्षित करना आदि शामिल हैं। इस अधिनियम के अध्याय 3 (शिक्षा) की धारा 18 में यह स्पष्ट किया गया है कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के उपाय करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019) के प्रारूप के भाग 1 क्रमांक 6.8 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग) को भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समावेशन सम्बंधित शिक्षा कार्यक्रमों की प्राथमिकता बनी रहेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रयासों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय में पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में बाधा रहित संरचनाएं, जैसे रैंप, रेलिंग, विशेष अनुकूल शौचालय और आवागमन की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। यह बच्चे अपने अपने सहपाठियों के साथ सहज रूप से कक्षा में भागीदारी कर सकें, इस हेतु सहायक यंत्र, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, भाषा की दृष्टि से उपयुक्त पठन-पाठन सामग्री (जैसे ब्रेल और बड़े अक्षरों में छपी सरल प्रारूप वाली पाठ्यपुस्तकें) उपलब्ध करायी जाएँगी। साथ ही गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे जो स्कूल में नहीं जा सकते, उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जैसी सुविधा के जरिए स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के द्वारा विभिन्न बुनियादी विषयों के शिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता के मॉड्यूल विकसित करेगा। शिक्षक सभी विद्यार्थियों की जरुरत को पूरा कर सकें, इस हेतु प्रत्येक स्कूल काम्प्लेक्स में पर्याप्त संख्या में क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक नियुक्त होंगे। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

कोल (2005) ने, अपने लेख 'सोशल एजुकेशनल नीड, इनक्लूशन एंड री-कांसेप्चुलाईज़ेशन ऑफ द रोल ऑफ सेनको इन इंग्लैंड एंड वेल्स' में, बताया कि शिक्षा में समावेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिसमें सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के साथ सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सेनको (Special Education Needs Coordination) SENCO, इंग्लैंड के वेल्स शहर में समावेशी शिक्षा में कार्य करने वाली संस्था है। अपने शोध कार्य में इन्होंने समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करने वाले सेनको समूह की भूमिका तथा योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात इन्होंने पाया कि शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सेनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तकाला, प्रीतिमा तथा टोरमेनन (2009) ने इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशन : द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन फिनलैंड विषय पर अध्ययन किया। इनके शोध का प्रमुख उद्देश्य फिनलैंड के सामान्य विद्यालय में पढ़ाने वाले विशिष्ट शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करना था। शोध कार्य के परिणामों के रूप में शोधार्थी ने पाया कि विद्यालय द्वारा निर्धारित समय दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं साथ ही शिक्षकों का मानना था दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष शैक्षणिक प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा समावेशन के लिए विद्यालयों, माता पिता एवं समाज को सहयोगात्मक नीति अपनानी चाहिए।

चौधरी (2010) ने 'दी टीचिंग-लर्निंग कंडिशन्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स' विषय पर अध्ययन किया। इनके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सन्दर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समावेशन के संप्रत्ययों को स्पष्ट करते हुए ऐसे विद्यालयों का अध्ययन करना था, जहाँ समावेशी शिक्षा के प्रावधानों को कक्षा-कक्ष की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार में लाया जा रहा था। अपने अध्ययन के उपरांत इन्होंने पाया कि वर्तमान विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शिक्षणेतर कार्य करने पड़ते हैं, जिनका सीधा असर समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। कक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात के मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, परिणामस्वरूप शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा कार्यरत सामान्य शिक्षकों को समावेशी शिक्षा से सम्बंधित पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने के कारण भी गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दास, क्योनि तथा देसाई (2013) ने 'इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया: आर द टीचर प्रिपेयर्ड?' विषय पर अध्ययन किया। इनके शोध का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर कार्यरत नियमित शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के अध्यापन के कौशलों का अध्ययन करना था। शोध के निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि दिल्ली के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल के नियमित शिक्षकों में से लगभग 70 प्रतिशत शिक्षकों ने न तो किसी भी प्रकार की विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और न ही उन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने का कोई अनुभव है। इसके अलावा लगभग 87% शिक्षक अपनी कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की

उपकरणों का उपयोग नहीं करते उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए सरकार को अधिक से अधिक शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण का प्रबंध करना चाहिए और साथ ही विद्यालयों को शैक्षिक उपकरण उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षाओं में अधिगम वातावरण स्थापित कर सकें।

इयोमा तथा तोयांसी (2017) ने 'टीचर एटीटड्यूड टुवर्डस् स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स इन नॉर्थ सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडो स्टेट, नियाग्रा' विषय पर अध्ययन किया। इनके शोध का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना था। शोधार्थी ने अपने शोध के परिणामों में पाया कि जेंडर के आधार पर महिला तथा पुरुष शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि शैक्षिक प्रवीणता एवं अनुभव की समयावधि के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

राज (2018) ने इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया: चैलेन्जिज एंड प्रोस्पेक्टस विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध का प्रमुख उद्देश्य भारत में समावेशी शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना था। अपने शोध कार्य के निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी हमारे सामने अनेक ऐसी समस्याएँ यथा- अपर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालयों का भौतिक स्वरूप, समुदाय का पर्याप्त सहयोग न मिलना आदि हैं, जो समावेशी शिक्षा को विद्यालयी परिस्थितियों में अपनाने में बाधक सिद्ध होती हैं।

वर्तमान स्थिति एक संक्षिप्त अध्ययन

इन्हीं पहलूओं के अध्ययन के लिए हमने भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 को आधर माने हुए 22 दिव्यांग विद्यार्थियों और 10 विशेष शिक्षकों के साथ अर्धसंरचित साक्षत्कार किए। इन चचाओं में कई रोचक पहलू सामने आए। इस अध्ययन में निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को समिल्लित किया गया-

1. साक्षरता दर को आधार मानते हुए भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. दिव्यांगजनों को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन कर इनके प्रभावी निराकरण हेतु उठाए जाने वाले कदमों का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधि तथा आंकड़ों की प्रकृति

प्रस्तुत शोध कार्य दो चरणों में पूरा किया गया उद्देश्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण तथा उपयोग किया गया-

प्रथम चरण (साक्षरता दर को आधार मानते हुए भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति)

भारत में दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा भारत की जनगणना-2011 से संबंधित दस्तावेज, दिव्यांगजनों की शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न शोध पत्रों तथा प्रतिवेदनों का अध्ययन कर उनका विषय वस्तु विश्लेषण किया गया।

द्वितीय चरण (दिव्यांगजनों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियाँ तथा इनके निराकरण हेतु उठाए जाने वाले कदम)

शोध के द्वितीय चरण दिव्यांगजनों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए शोधार्थी द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत 22 दिव्यांग विद्यार्थियों तथा 10 विशिष्ट शिक्षकों का अर्थ-संरचित साक्षात्कार लिया गया तथा प्राप्त आंकड़ों को प्रसंग (थीम्स) में विभक्त करके उनका विश्लेषण कर परिणामों को प्राप्त किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण, शोध परिणाम, निर्वचन तथा परिचर्चा

भारत की जनगणना-2011 के दस्तावेजों, दिव्यांगजनों की शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न शोध पत्रों तथा प्रतिवेदनों का विषय वस्तु विश्लेषण करने पर भारत में दिव्यांगजनों की संख्या तथा उनके प्रतिशत संबंधित प्राप्त परिणामोंका विवरण तालिका क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका क्रमांक 1: भारत में दिव्यांगजनों की जनसंख्या (2011)

भारत की कुल जनसंख्या (2011)			दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या (2011)			निवास परिवेश के अनुसार दिव्यांग. जनों की कुल जनसंख्या (2011)	
कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	ग्रामीण	शहरी
121.08 करोड़	62.32 करोड़	58.76 करोड़	2.68 करोड़	1.5 करोड़	1.18 करोड़	1.86 करोड	0.82 करोड़

स्रोत: डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया: ए स्टैस्टिकल प्रोफाइल, 2016 (Website: http://mospi.gov.in)

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांगजन हैं। इन कुल दिव्यांगजनों में से 56 प्रतिशत पुरुष तथा 44 प्रतिशत महिलाएं दिव्यांग हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि कुल दिव्यांग व्यक्तियों का लगभग 69 प्रतिशत दिव्यांग ग्रामीण परिवेश में तथा 31 प्रतिशत दिव्यांग शहरी हैं।

तालिका क्रमांक-2: भारत में दिव्यांगजनों का शैक्षिक स्तर (जनगणना, 2011 के अनुसार)

शैक्षिक स्तर	दिव्यांगजनों की कुल संख्या		
	कुल संख्या	पुरुष	महिलाएं
कुल अशिक्षित	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
कुल शिक्षित	1,46,18,353	93,48,353	52,70,000
योग	2,68,14,994	1,49,88,593	1,18,26,401
साक्षर लेकिन प्राथमिक स्तर से कम	28,40,345	17,06,441	11,33,904
प्राथमिक स्तर	35,54,858	21,95,933	13,58,925
उच्च प्राथमिक स्तर	24,48,070	16,16,539	8,31,531
माध्यमिक स्तर	34,48,650	23,30,080	11,18,570
स्नातक तथा उसके अधिक	12,46,857	8,39,702	4,07,155

स्रोत: डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया: ए स्टैस्टिकल प्रोफाइल, 2016 (Website: http://mospi.nic.in)

तालिका क्रमांक-2 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या का लगभग 54.52 प्रतिशत (1.46 करोड़) भाग अशिक्षित हैं, जिसमें से लगभग 55 प्रतिशत पुरूष तथा 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। तालिका के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षित दिव्यांगजनों का 19.42 प्रतिशत प्राथमिक स्तर से कम साक्षर, 41.06 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक, 23.59 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक साथ ही 8.52 प्रतिशत स्नातक या इससे अधिक साक्षर हैं। कुल दिव्यांग पुरुष जनसंख्या का लगभग 62.37 प्रतिशत भाग शिक्षित तथा 37.63 प्रतिशत अशिक्षित है। शिक्षित दिव्यांग पुरुषों का 18.25 प्रतिशत प्राथमिक स्तर से कम साक्षर, 40.78 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक, 24.92 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक साथ ही 8.98 प्रतिशत स्नातक या इससे अधिक शिक्षित है। कुल दिव्यांग महिला जनसंख्या का लगभग 44.56 प्रतिशत भाग शिक्षित तथा 55.43 प्रतिशत अशिक्षित है। शिक्षित दिव्यांग महिलाओं का 21.51 प्रतिशत प्राथमिक स्तर से कम साक्षर, 41.56 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक, 21.22 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक साथ ही 7.72 प्रतिशत स्नातक या इससे अधिक साक्षर है। साक्षर दिव्यांगजनों का लगभग 33 प्रतिशत भाग ग्रामीण परिवेश में जबकि 67 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है।

तालिका क्रमांक-3 : राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी साक्षरता दर (भारत की जनगणना-2011)

क्रमसंख्या	राज्य	दिव्यांगजनों की कुल संख्या	दिव्यांगजनों की साक्षरता दर	कुल जनसंख्या की साक्षरता दर
1.	आंध्रप्रदेश	22,66,607	48.33	67.66
2	अरुणाचल प्रदेश	26,734	38.75	66.95
3.	असम	4,80,065	48.25	73.18
4.	बिहार	23,31,009	47.30	63.82
5.	छत्तीसगढ़	6,24,937	48.53	71.04
6.	गोवा	33,012	70.31	87.40
7.	गुजरात	10,92,302	62.84	79.31

8.	हरियाणा	5,46,374	54.51	76.64
9.	हिमाचल प्रदेश	1,53,316	55.97	83.78
10.	जम्मू-कश्मीर	3,61,153	41.80	68.74
11.	झारखण्ड	7,69,980	46.93	67.63
12.	कर्नाटक	13,24,202	59.45	75.60
13.	केरल	76,18,443	70.79	93.91
14.	मध्यप्रदेश	15,51,931	52.54	70.63
15.	महाराष्ट्र	29,63,392	67.64	89.91
16.	मणिपुर	58,547	58.64	79.85
17.	मेघालय	44,317	47.71	75.48
18.	मिज़ोरम	15,160	61.92	91.58
19.	नागालैंड	29,631	43.55	80.11
20.	उड़ीसा	12,44,402	53.17	73.54
21.	पंजाब	6,54,063	56.62	76.68
22.	राजस्थान	15,63,694	40.16	67.06
23.	सिक्किम	18,187	45.51	82.20
24.	तमिलनाडु	11,79,963	66.66	80.33
25.	त्रिपुरा	64,346	66.25	87.75
26.	उत्तर प्रदेश	41,57,514	52.54	69.72
27.	उत्तराखण्ड	1,85,272	55.59	69.72
28.	पश्चिम बंगाल	20,17,406	57.34	77.08
29.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6,660	65.45	86.27
30.	चंडीगढ़	14,796	67.66	86.43
31.	दिल्ली	2,34,882	65.32	86.34
32.	दादर तथा नगर हवेली	3,296	50.76	77.65
33.	दमन तथा दीव	2,196	62.02	87.07
34.	लक्षद्वीप	1,615	66.25	92.28
35.	पुदुचेरी (पाण्डचेरी)	30,189	63.09	86.55

स्रोत: डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया: ए स्टैस्टिकल प्रोफाइल, 2016 (Website: http://mospi.gov.in)

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत की जनगणना-2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों की साक्षरता दर सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड तथा सिक्किम में है। जबकि दिव्यांगजनों की सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, गोवा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर की तुलना में दिव्यांगजनों की साक्षरता दर के मध्य सर्वाधिक अंतर अरुणाचल प्रदेश में जबकि सर्वाधिक कम अंतर केरल राज्य में देखने को मिलता है।

भारत की जनगणना 2001 को देखने पर पता चलता है कि यद्यपि दिव्यांगजनों की साक्षरता दर में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है।

भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियाँ तथा इनके समाधान को जानने के लिए शोधार्थी द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत 22 दिव्यांग विद्यार्थियों तथा 10 विशिष्ट शिक्षकों का अर्थ-संरक्षित साक्षात्कार लेकर आंकड़ों को प्रसंगों (थीम्स) में विभाजित करके उनका विश्लेषण किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत शोधार्थी ने पाया कि

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात चुनौतियों तथा इनके समाधान हेतु उठाए जाने वाले कदमों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

(1) **सामान्य शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूकता की कमी**

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध से सम्बंधित आंकड़ें एकत्रित करते समय अधिकांश शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामान्य शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूकता की कमी है। दिव्यांगों के प्रति शिक्षकों का अपना सामाजिक तथा सांस्कृतिक नजरिया होता है, लेकिन इनमें दिव्यांगता के प्रति वैज्ञानिक तथा शैक्षिक ज्ञान तथा इससे संबंधित जागरूकता का अभाव होता है। जिसके चलते ऐसे शिक्षक दिव्यांग बच्चों की समस्याओं को गहराई से नहीं समझ पाते, परिणामस्वरूप दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उचित अधिगम अनुकूल वातावरण का निर्माण नहीं कर पाते। एक शिक्षक से बात करते हुए उसने बताया कि हमारे विद्यालय में 3 दिव्यांग विद्यार्थी हैं चूँकि मैंने कभी भी दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने का औपचारिक और विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं लिया जिसके कारण मैं स्वयं को दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों को सही से समझ पाने में असमर्थ पाता हूँ। अत: इस समस्या के निराकरण के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों तथा कार्यक्रमों से दिव्यांगता तथा दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं के लिए जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए।

(2) **अनुचित पाठ्यक्रम अनुकूलन**

साक्षात्कार के दौरान एक शिक्षिका ने बताया कि कि उसके विषय की पाठ्य पुस्तक में एक भी पाठ ऐसा नहीं था जिसमें दिव्यांग बच्चों से सम्बंधित विषय-वस्तु हो साथ ही पुस्तक में प्रयुक्त उदाहरणों में दिव्यांग बच्चों का कहीं भी जिक्र नहीं है पुस्तक के विभिन्न पाठों में दिए गये चित्रों में भी दिव्यांग विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है अत: दिव्यांग विद्यार्थी ऐसी विषय-वस्तु में स्वयं को उपेक्षित पाते हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में समावेशी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें दिव्यांग विद्यार्थी स्वयं को भावात्मक रूप से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को सीख सकें। परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्राय: कम ही देखने को मिलता है, अत: वर्तमान पाठ्यक्रम के स्वरूप में सुधार करते हुए 'यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग' जैसी अवधारणा को विकसित कर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, साथ ही मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित शिक्षण उपकरणों को पाठ्यक्रम में शामिल करके उसे समावेशी पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

(3) **प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी**

शोध कार्य से सम्बंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण के दौरान जब शोधार्थी ने दिव्यांग विद्यार्थियों से बात की तो उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने बताया कि उनके विद्यालय में उनको पढ़ाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है उनको सभी विषयों की शिक्षा उनके विद्यालय में नियुक्त सामान्य शिक्षक ही देते हैं इस सन्दर्भ में जब शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनसंख्या, विद्यालयों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में ऐसे संस्थानों की संख्या बहुत कम है जहाँ शिक्षकों को विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता हो परिणामस्वरूप सामान्य विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों का आभाव है। लाल तथा शर्मा (2014)ने भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में हमारे देश में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से लगभग 2,000 विद्यालय तथा केंद्र हैं, इनमें भी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है।

(4) **समावेशी शिक्षा तथा दिव्यांगता के प्रति शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों, अभिभावकों तथा समूह के साथियों का उचित दृष्टिकोण न होना**

वर्तमान समय में भी कई मामलों में समावेशी शिक्षा तथा दिव्यांगता के प्रति शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों, अभिभावकों, समूह के साथियों तथा नीति-नियोजकों का उचित दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता है। दिव्यांग विद्यार्थियों का साक्षात्कार करते समय माध्यमिक स्तर की दो छात्राओं ने शोधार्थी को बताया कि उनके विद्यालय के कुछ शिक्षकों का उनके प्रति रवैया सकारात्मक नहीं है, जिसके कारण कभी-कभी उन्हें नवीन ज्ञान को सीखने में समस्यों का सामना करना पड़ता है। कक्षा 10 के एक विद्यार्थी ने बताया कि जब वह कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए एक निजी विद्यालय में गया तब उस विद्यालय के प्रबंधक ने उसके माता-पिता से कहा कि हमारे विद्यालय में आपके बच्चों की जरुरत के अनुसार न तो कोई प्रशिक्षित शिक्षक है और न ही पर्याप्त साधन। एक छात्रा ने बताया कि जब भी किसी नई गतिविधि को करने के लिए वह कक्षा में आगे आना चाहती है तो एक-दो शिक्षक उसको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की जगह यह बोलते हैं कि बेटा तुम यह कैसे कर पाओगी? शोधार्थी को अलग अलग विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर के 3 विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का उनके

प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, कुछ विद्यार्थी उनकों चिढ़ाते हैं।

शोध के आंकड़ों के एकत्रीकरण के दौरान विशिष्ट शिक्षा के कुछ शिक्षकों ने बताया कि कुछ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता का उनकी शिक्षा के प्रति सकारात्मक नजरिया देखने को नहीं मिलता है। जब हम उनको यह समझाते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नजदीक के किसी भी सामान्य विद्यालय में नाम लिखवाएँ तो वो कहते हैं कि ''हमारा बच्चा तो दिव्यांग है यह तो पढ़ ही नहीं पाएगा ऐसे में उसको विद्यालय भेजने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर यह है कि वह किसी अन्य काम को सीख ले, जो कम से कम आगे चलकर उसकी जीविका का माध्यम तो बनेगा।'' अत: शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों, अभिभावकों, समूह के साथियों का समावेशी शिक्षा तथा दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होगा। जिससे दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सफल राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(5) **विद्यालय में उचित अधिगम वातावरण का न होना**

शोधार्थी से बात करते हुए कई विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय का अधिगम वातावरण समावेशी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिव्यांग विद्यार्थियों ने बताया कि हमारे विद्यालय में वभिन्न प्रकार के क्रिया आधारित विषयों जैसे- विज्ञान एवं चित्रकला को सीखने के लिए सहायक सामग्री एवं उचित अधिगम उपकरणों का आभाव है। जिसके कारण इन विषयों को सीखने के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए विद्यालय प्रबंधकों तथा शिक्षकों को मिलकर विद्यालय का वातावरण अधिगम केंद्र तथा समावेशी शिक्षा के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

(6) **पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में कमी**

शोधार्थी द्वारा विशेष शिक्षा वाले शिक्षकों से ज्ञात हुआ कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में कमी है। विद्यालय में बच्चों के नामांकन के लिए परिवार के सदस्यों को आगे आना चाहिए परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कई सारे अभिभावक अपने निजी/आर्थिक कारणों के चलते अपने बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों को बालकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका सहयोग करना चाहिए। इसीलिए समावेशन तभी संभव होगा जब परिवार को इस प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित कर उसे इसमें सम्मिलित किया जाए।

(7) **शैक्षणिक तथा प्रशासनिक समस्याएं**

विशिष्ट शिक्षा के कुछ शिक्षकों ने शोधार्थी को बताया की यद्यपि भारत सरकार दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए पर्याप्त कार्य करती है परन्तु वास्तव में लाभार्थियों को उसका पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पता इसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं का सही से क्रियान्वयन न होना है। स्नातक स्तर के कुछ दिव्यांग विद्यार्थियों ने भी शोधार्थी को बताया कि 'कुछ प्रशासनिक अधिकारी, दिव्यांगजनों के शैक्षिक सुधार के लिए चलायी जा रही योजनाओं को न तो सही तरीके से क्रियान्वित करते हैं और न ही अच्छे से मॉनीटरिंग जिसके कारण उन तक इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुँच पाता'। वर्तमान समय में भारत में दिव्यांगों की शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु फिर भी इन कार्यक्रमों का लाभ बहुत कम दिव्यांग व्यक्तियों को मिल पा रहा है। भारत सरकार समय-समय पर दिव्यांगों की शिक्षा के लिए बहुत सारी नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करती है। लेकिन उचित प्रशासन न हो पाने के कारण इन नीतियों तथा योजनाओं को सही तरीके से प्रशासित नहीं किया जाता फलस्वरूप आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते। प्रशासनिक अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन नीतियों तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध कार्य का यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विभिन्न दिव्यांग बच्चों को अक्सर पूर्वाग्रह तथा भेदभाव पूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है दास, क्योनि तथा देसाई, (2013) ने भी अपने शोध कार्य में यह स्वीकार करते हैं कि सामान्य विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षक और वहां पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति विभिन्न पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं जिसके फलस्वरूप दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य विद्यालयों में स्वयं को अलग- अलग महसूस करने लगता है जो उसके सर्वांगीण विकास में रूकावट का कार्य करता है। शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सबसे बुनियादी आवश्यकता है, फिर भी अनेक जगह दिव्यांग बच्चों को इससे वंचित रहना पड़ता है। यदि दिव्यांग बच्चे सामान्य विद्यालयों में प्रवेश ले भी लेते हैं तो उन्हें सामाजिक, शारीरिक तथा अन्य सीमाओं के कारण

विभिन्न शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल हो जाता है जो उनमें हीन भावना उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण बनता है। उपरोक्त शोध अध्ययन के निष्कर्ष पहले से मौजूद शोध साहित्य के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री का अभाव, उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण न हो पाना, माता-पिता का उदासीन रवैया तथा उचित प्रशासनिक कार्यान्वयन का न होना दिव्यांगों की शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ हैं। शोधार्थी द्वारा प्राप्त शोध परिणाम की पुष्टि अन्य शोध अध्ययनों द्वारा प्राप्त परिणामों से होती है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को समाज में उचित स्थान प्रदान कराने हेतु उनकी शिक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा सभी विद्यालयों को समावेशी बनाना चाहिए (पुरी तथा अब्राहिम, 2004; बिंदल तथा शर्मा, 2010; दास तथा कुटूमुरी, 2010; दास, क्योनि तथा देसाई, 2013; सिंह तथा अग्रवाल, 2015 एवं कौर तथा पद्मनाभन, 2017)। इसीलिए हमें शिक्षा प्रणाली की समस्याओं को समझकर उनको दूर करने पर जोर देना चाहिए जिससे समावेशी शिक्षा को मूर्त रूप प्रदान कर दिव्यांगजनों को शिक्षित करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़कर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके।

सन्दर्भ

1. बिंदल, एस. और शर्मा, एस. (2010). इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 35(4), 34-45.
2. चौधरी, आर. (2010). दी टीचिंग-लर्निंग कंडिशन्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स. जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन. 36(1), 76-83.
3. दास, ए. के., क्योनि, ए. बी. और देसाई, आई. पी. (2013). इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया : आर द टीचर प्रिपेयर्ड? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 28(1), 27-36.
4. दास, ए. के. और कुटूमुरी, आर. (2010). चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटिज इन प्राइवेट इन्क्लूसिव स्कूल इन मुंबई : एक्सपीरिएनसिस एंड चैलेंजिज-Retrieved from DOI:10.1007/s12098-011-05533.
5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 disabilityaffaris.gov.in>uploadfiles>files
6. इयोमा डी. डी. और तोयोसी, ए. एन. (2017) टीचर एटीटड्यूड टुवर्डस् स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स इन नॉर्थ सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडो स्टेट, नियाग्रा.जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस,8(4), 6-12.
7. जोसेफ, जे. (2006). ए स्टडी ऑफ ओपेनियन्स ऑफ रेगुलर प्राइमरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन विद मेंटल रिटार्डेशन. नेशनल इंस्टीटड्यूट फॉर दी मैंटली हैण्डीकैप्ड (एन. आई. एच. एम.), सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश.
8. जुलका, ए. (2007). मीटिंग स्पेशल नीड्स इन स्कूल. दिल्ली : एनसीईआरटी.
9. कौर, ए. और पद्मनाभन, जे. (2017). चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसआर्डर : आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंसंस. एजुकेशन्ल क्युस्ट, 8 (1), 1-8.
10. कोल, बी. ए. (2005). मिशन इंपॉसिबल? सोशल एजुकेशनल नीड, इनक्लूशन एंड रीकांसेप्चुलाईजेशन ऑफ द रोल ऑफ सेनको इन इंग्लैंड एंड वेल्स. यूरोपियन जर्नल ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन, 20(3), 287-307.
11. कोहमा, ए. (2012). इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया : ए कंट्री इन ट्राजीसन (बैचलर थीसिस). यूनिवर्सिटी ऑफ औरिगन, औरिगन.
12. लाल, आर. और शर्मा, के. के. (2014). हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड प्रोब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन. मेरठ : आर. लाल बुक डिपो.
13. राज, एल. (2018). इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया : चैलेन्जिज एंड प्रोस्पेक्टस. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्नोवेटिव रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड मल्टीडिसप्लीनरी फ़िजिकल साइंसेज, 6 (5), 38-42.
14. मिश्र, एस. के. (2013). भारत में शिक्षा व्यवस्था. मेरठ: आर. लाल बुक डिपो.
15. नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज, 2006 www.mospi.gov.in>files>social-statistics
16. नेशनल ट्रस्ट फॉर दी वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विदऔटिज्म, सेरेब्रल पल्सी,मेंटल रिटरडेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटिजकपेंइपसपजलोंपितेण हवअण्पदझनचसवंकपिसमेझपिसमे
17. पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट, 1995 niepmd.tn.nic.in>documents>PWDACT
18. पुरी, एम. और अब्राहम, जी. (2004). हैंडबुक ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स (एडिटिड). इन्क्लूसिव एजुकेशन- एन ओवरव्यू (17-25). न्यू दिल्ली : सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
19. आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट, 2016 disabilityaffairs.gov.in>RPWDACT2016
20. रिहैबिलिटेशन कौंसल ऑफ इंडिया.(2015). एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ दी आर. सी. आई. Retrived from http://www.rehabcouncil.nic.in>writereaddta

21. सिंह, जे. डी. (2016). इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया- कॉन्सेप्ट, नीड एंड चैलैंजिज. स्कॉललह्न रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज,3 (13), 3222-3232.
22. संजीव, के. (2008). विशिज्ट शिक्षा. पटना: जानकी प्रकाशन.
23. सिंह, वाई. पी. और अग्रवाल, ए. (2015) प्रोसीडिंग ऑफ दी थर्ड ग्लोबल समिट ऑन एजुकेशन जी. एस.ई. (ई-आई.एस.बी.एन. 978-967-0792-01-1), 9-10 मार्च, 2015कुआँ-लामपुर मलेशिया. ऑर्गनाइज्ड बाई, वर्ल्डकांफ्रेंस.नेट
24. https://drive.google.com/file/d/1SK_gYczf-SiFyxBDbBmcASNUBwiQS2hr_/view
25. तकाला, एम., प्रीतिमा, आर. और टोरमेनन, एम. (2009). इन्क्लूसिव स्पेशल एजुकेशन : दी रोल ऑफ सोशल एजुकेशन टीचर्स इन फिनलैंड. ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 36 (3), 162-172.